न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 30/2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री विमल प्रकाश जैन, मैसर्स–अन्तर्मना जैन कैटर्स, 124 व्यापारी मौहल्ला, पावर हाऊस के पास, किशनगढ, अजमेर

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री मौहम्मद युनुस खान, वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–07.03.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड घी का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2022 को 03.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–अन्तर्मना जैन कैटर्स, 124 व्यापारी मौहल्ला, पावर हाऊस के पास, किशनगढ, अजमेर पर पहूँचे श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री विमल प्रकाश जैन मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को स्टील की टंकी में रखा 20 किलोग्राम घी विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान घी में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जाँच हेतु 400/– रूपये श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री विमल प्रकाश जैन को

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नगद देकर गवाह श्री राजकुमार इन्दोरिया, सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री अरविन्द जैन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 800 ग्राम घी को चार प्लास्टिक की खाली बोतलों में बराबर बराबर भागों में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–3505 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2023/471 दिनांक 12.01.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 1287/एक्ट/2022/1146 दिनांक 02.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया घी सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 26.04.2023 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अरविन्द जैन को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 13.03.2024 को अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुये एवं तत्पश्चात जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि दिनांक 22.10.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अप्रार्थी की दुकान पर आये व मधुसूदन घी कम्पनी के 15 लीटर के पीपे से सैम्पल लिया था। 20 लीटर की किसी भी टंकी में ना तो घी था एवं ना ही उसमें से सैम्पल लिया गया था। घी क्रय के बिल मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बताये थे चूंकि होलसेल विक्रेता से पहले माल टैम्पों में आ जाता है, तत्पश्चात बाद में भुगतान करके बिल लेकर आते हैं। उनका आगे कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई घी नहीं खरीदा गया एवं ना ही उन्हे 400/– रूपये का भुगतान किया गया। सैम्पल हेतु लिये गये घी की कीमत 400/– रूपये प्रति लीटर थी तो अप्रार्थी किस प्रकार 800/– रूपये में 800 मिली ग्राम घी देता जबकि घी ग्राम में नहीं देकर लीटर के माप के हिसाब से दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से उक्त घी के सैम्पल को प्रयोगशाला में भेजने के लिये कहकर खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि मौके पर अप्रार्थी को कुछ भी पढ़कर नहीं सुनाया एवं ना ही उनके समक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये तथा ना ही प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कोई कार्यवाही मौके पर अप्रार्थी के समक्ष की गई। जांच अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाहियां गलत, असत्य व अविधिक आधारों पर सम्पादित की गई है, जिसके लिये अप्रार्थी उत्तरदायी नहीं है। अप्रार्थी उक्त घी का निर्माता नहीं है बल्कि कम्पनी है एवं कार्यवाही कम्पनी के विरूद्ध की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

जानी चाहिये थी। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधिरोपित आरोपों को अप्रार्थी के विरूद्ध सव्यय खारिज कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर अप्रार्थी की उपस्थिति में घी का नमूना लिया गया है एवं जांच हेतु 800 ग्राम घी लिया जाकर सम्बन्धित दस्तावेज यथा फॉर्म V A (नोटिस) व नमूना खरीद बिल आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं एवं समस्त कार्यवाही गवाह के समक्ष की जाकर गवाह के हस्ताक्षर भी करवाये गये हैं। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया घी का नमूना अवमानक पाये जाने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 12.01.2023 से अप्रार्थी को सूचित किया गया एवं जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में नमूने की पुनः जांच हेतु 30 दिवस के अन्दर आवेदन करने के लिये लिखा गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया गया एवं ना कोई जवाब ही प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवेदन करने अथवा जवाब प्रस्तुत करने के तथ्य न तो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं ना ही उनके द्वारा अपने जवाब में ऐसे कोई कथन किये गये हैं। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, अजमेर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की पूर्णतया जानकारी थी एवं वे जांच रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अब उपरोक्त कथन किये गये हैं जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा अवमानक घी का उपयोग किये जाने के दस्तावेजी तथ्य पत्रावली पर प्रकट होने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों, खाद्य विश्लेषक अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री अरविन्द जैन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 निषम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा घी निर्धारित वैल्यू अनुसार नहीं होना पाया गया है। उत्पाद निर्धारित मूल्यों के अनुरूप नहीं होना आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्याय निर्णयन प्रार्थना पत्र में विश्लेषण रिपोर्ट दिनांकित 02.11.2022 में आरोपी के विरूद्ध धारा/विनियम में वर्णित विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) की उल्लंघना का जो आरोप लगाया है, वह आरोप बिना संदेह के प्रमाणित है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री अरविन्द जैन को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री अरविन्द जैन को रु 70000/– (अक्षरे सत्तर हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 07.03.2025 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/13945-47 दिनांक : 24-3-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर
3– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
4– श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री विमल प्रकाश जैन, मैसर्स–अन्तर्मना जैन कैटर्स, 124 व्यापारी मौहल्ला, पावर हाऊस के पास, किशनगढ, अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर